

- (6) कर्मचारियों की शर्तें बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा नियुक्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।
- (7) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी ।
- (8) विद्यालय का रिजर्व निर्धारित प्रथम पंक्तिवालों में रखा जायेगा ।
- (9) उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और याव किती समय यह पालना जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किन्ना प्रवृत्ति की शुरु या शिथिलता बरती जाती है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,

(बाबू राम)

अनु साक्षर ।

50सं0-2056(1)/15-7-2004 लखनऊ

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- मन्त्रालय सयुक्त शिक्षा निदेशक, लखनऊ ।
- 3- शिक्षा विद्यालय निरीक्षक, रायबरेली, लखनऊ ।
- 4- अध्यक्ष, लखनऊ पब्लिक स्कूल नवआश्रम अशुलकालन नदवी कालोनी निकट चम्पादेवी नंदिर रायबरेली ।
- 5- गार्ड बुक ।

आज्ञा सं,

(बाबू राम)

अनु साक्षर ।

Amit
PRINCIPAL
Lucknow Public School
Rae Bareilly

Principal
Lucknow Public School
RAE BAREILLY

MANAGER LPS™
LUCKNOW PUBLIC SCHOOL
LUCKNOW